मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, १९६३

(१९६३ का क्रमांक ४)

के सम्बन्ध में

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

प्रवर समिति द्वारा यथा-संशोधित विधेयक सहित

भोपाल
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
१९६४

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, १९६३
(१९६३ का क्रमांक ४)

SERVANTS OF INDIA SOCIETY'S LIBRARY POONA 4

प्रवर समिति का गठन

सभापति

१. श्री जगदीशनारायण अवस्थी

सदस्य

२. श्री उमराव सिंह

३. श्री मोहनलाल सेठिया

४. श्री व्यं. वि. द्रविड़

५. श्री जागेश्वरनाथ विसेन

६. श्री शत्रुघ्न सिंह तिवारी

७. श्री रामप्रकाश मलहोत्रा

८. श्री रामविनास बांगड़

९. श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त

१०. श्री मुरलीधर मिश्र

११. श्री श्यामाचरण शुक्ल

१२. श्री शाकिर अली खां

१३. श्री नवल किशोर गर्ग

१४. श्री गुलशेर अहमद, विधि, मंत्री

१५. श्री श्यामसुन्दर पाटीदार, राज्य मंत्री, श्रम

सचिवालय

१. श्री मदन गोपाल, सचिव

२. श्री रामचन्द्र कन्हाई, अवर सचिव.

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति का सभापति जिसे मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, १९६३ (१९६३ का क्रमांक ४) निर्दिष्ट किया गया था, उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर उसके इस प्रतिवेदन को, इससे संलग्न प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के साथ प्रस्तुत करता हूं।

२. * विधयक विधान सभा में २ मार्च, १९६४ को प्रस्तुत किया गया। दिनांक २ मार्च १९६४ को श्री श्यामसुन्दर पाटीदार, राज्य मंत्री श्रम, द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव किया गया जिस पर सदन में विचार किया गया और उसी दिन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

३. समिति की कुल तीन बैठकें हुई।

४. दिनांक १३ मई, १९६४ को हुई प्रथम बैठक में समिति ने विधेयक में रुचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करके लिखित सुझाव या आपत्तियां आमंत्रित कराने का निर्णय लिया।

समिति को विधेयक के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ।

५. दिनांक २० जून एवं ७ अगस्त, १९६४ को हुई द्वितीय एवं तृतीय बैठकों में समिति न विधयक पर खंडशः विचार किया तथा सभापति को प्रतिवेदन अनुमोदित करने एवं उसे प्रस्तुत करने क लिये प्राधिकृत किया।

६. समिति का मत है कि खंड ६ द्वारा मूल अधिनियम की धारा १० में प्रस्तावित संशोधन द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने के लिये किसी व्यक्ति द्वारा पच्चीस रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा किये जाने का प्रावधान अत्यधिक है अतः उसे कम करके पंद्रह रुपये कर देना चाहिये।

तदनुसार प्रस्तावित उपधारा (३) में संशोधन किया गया है।

७. समिति सिफारिश करती है कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाय।

दिनांक २५ अगस्त, १९६४.

जगदीश नारायण अवस्थी

सभापति.

---

* विधेयक "मध्यप्रदेश राजपत्र" असाधारण, दिनांक २५ मार्च, १९६३ में हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित।

(*As amended by the Select Committee*)

MADHYA PRADESH BILL

No. 4 OF 1953.

THE MADHYA PRADESH SHOPS AND ESTIBLISH-MENTS (AMENDMENT) BILL, 1953

TABLE OF CONTENTS

Clauses.

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 3.
4. Amendment of section 4.
5. Amendment of section 6.
6. Amendment of section 10.
7. Amendment of section 11.
8. Amendment of section 13.
9. Insertion of new section 13-A.
10. Insertion of new section 23-A.
11. Substitution of Chapter VI.
12. Amendment of section 30.
13. Amendment of section 44.
14. Amendment of section 45.
15. Amendment of section 46.
16. Substitution of section 48.
17. Amendment of section 52.
18. Amendment of section 55.
19. Amendment of section 62.
20. Amendment of section 63.

(As amended by the Select Committee).

MADHYA PRADESH BILL

No. 4 OF 1963.

[Omissions made by the Select Committee are enclosed in square brackets and additions made by them are underlined.]

THE MADHYA PRADESH SHOPS AND ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL, 1963

A Bill to amend the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.

BE it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the [Fourteenth] Fifteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Shops and Establishments (Amendment) Act, [1963] 1964. Short title.

2. In section 2 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (hereinafter referred to as the principal Act),— Amendment of section 2.

(i) for clause (3), the following clause shall be substituted, namely:—

"(3) 'closed' means not open for the service of any customer, or for any business of the establishment, or for work, by or with the help of any employee, of or connected with the establishment;";

(ii) in item (a) of clause (4) for the words "which carried on any business", the words "which carried on, whether for gain or not, any business" shall be substituted;

(iii) for clause 6, the following clause shall be substituted, namely:—

"(6) 'employee' means a person wholly or principally employed, whether directly or through any agency, and whether for wages or other consideration, in or in connection with any establishment, and includes an apprentice, but does not include a member of the employer's family;" and

(iv) for clause (18), the following clause shall be substituted, namely:—

"(18) 'opened' means opend for the service of any customer, or for any business of the establishment, or for work, by or with the help of any employee, of or connected with the establishment."

Amendment of section 3.

3. In sub-section (1) of section 3 of the principal Act,—

(i) in clause (a) for the words "persons occupying positions of management", the words, brackets and figures "persons occupying positions of management and declared as such under clause (a) of sub-section (2) of section 6" shall be substituted; and

(ii) clause (i) shall be omitted.

Amendment of section 4.

4. For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Application of Act to other establishments and persons.

"4. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, by notification, declare any establishment or class of establishments to which, or any person or class of persons to whom, this Act or any of the provisions thereof does not for the time being apply, to be an establishment or class of establishment or a person or class of persons to which or whom this Act or any provision thereof shall apply from such date as may be specified in the notification.

(2) On such declaration under sub-section (1), any such establishment or class of establishments or such person or class of persons shall be deemed to be an establishment or class of establishments to which, or to be an employee or class of employees to whom this Act applies and all or any of the provisions of this Act, shall apply to such establishment or class of establishments or to such employee or class of employees.".

Amendment of section 6.

5. For clause (a) of sub-section (2) of section 6 of the principal Act, the following clause shall be substituted namely:—

"(a) the name of the employer, the manager and the person holding positions of management, if any;"

Amendment of section 10.

6. For sub-section (2) of section 10 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(2) Any person contravening the provisions of sub-section (1) shall be liable to have his goods seized by an Inspector.

(3) The goods seized under sub-section (2) shall be returned to the person from whom they were seized on his depositing rupees [twenty-five] fifteen as security for his apperance in the Court.

(4) If the person fails to make the deposit, the goods seized shall be produced without delay before a Court, who may give such directions as to their temporary custody, as it thinks fit.

(5) Where no prosecution is instituted for contravention of the provisions of sub-section (1) within

such period as the Court may fix in this behalf the Court shall direct their return to the person from whom they were seized.

(6) Subject to the provisions of the preceding sub-section, the provision of the Code of Criminal Procedure, 1898 (No. V of 1898), shall so far as they may be applicable, apply to the disposal of the goods seized under this section.".

For sub-section (1) of section 11 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:— Amendment of section 11.

"(1) (a) No employee in any shop or commercial establishment shall be required or allowed to work for more than 48 hours in a week.

(b) Subject to clause (a) no employee shall be required to work—

(i) in any shop, for more than nine hours on any day,

(ii) in any commercial establishment, for more than ten hours on any day.".

8. In section 13 of the principal Act,— Amendment of section 13.

(i) to sub-section (1), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that where any shop or commercial establishment comes after the beginning of any year within the purview of this Act, for the first time, the employer shall also fix such day of the week on which the shop or commercial establishment shall remain closed for the remaining part of the year, and notify it to the Inspector within one month of the date on which the shop or establishment so comes within the purview of this Act";

(ii) The following shall be added at the end of sub-section (4), namely:—

"If any employee is employed on a daily wage he shall nonetheless be paid wages for the weekly holiday equal to the average of the daily wages earned by him during the preceding six working days."

9. After section 18 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:— Insertion of new section 18-A.

"18-A. The employer shall furnish every employee in a residential hotel, restaurant or eating house an identity card which shall be kept by the employee when on duty and shall be produced on demand by an Inspector. Such card shall contain the following and such other particulars as may be prescribed, namely :— Employees in residential hotel, etc., to furnish identity card to employees.

(a) the name of the employer;

(b) the name, if any, and the postal address, of the establishment;

(c) the name and age of the employee;

(d) the hours of work, the interval for rest, if any, and the holiday, of the employee;

(e) the name and age of the employee;

(f) the identity mark of an employee; and

(g) signature or thumb impression of the employee.

Insertion of new section 23-A.

10. After section 23 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

Employer in a theatre, etc., to furnish identity card to employee.

"23-A. The employer shall furnish every employee in a theatre, or other places of public amusement or entertainment an identity card which shall be kept by the employee when on duty and shall be produced on demand by an Inspector. Such card shall contain the following and such other particulars as may be prescribed, namely:—

(a) the name of the employer;

(b) the name, if any, and the postal address, of the establishment;

(c) the name and age of the employee;

(d) the hours of work, the interval for rest, if any, and the holiday of the employee;

(e) the signature (with date) of the employer;

(f) the identity mark of an employee; and

(g) signature or thumb impression of the employee."

Substitution of Chapter VI.

11. For Chapter VI of the principal Act, the following chapter shall be substituted, namely:—

"CHAPTER VI

Employment of Children, Young Persons and Women

No child to work in any establishment.

24. No child shall be required or allowed to work whether as an employee or otherwise in any establishment, notwithstanding that such child is a member of the family of the employer.

Young persons and women to work between 7 a.m. to 9 p.m.

25. No young person or women shall be required or allowed to work whether as an employee or otherwise in any establishment before 7 a.m., and after 9 p.m., notwithstanding that such young person or woman is a member of the family of the employer.

Daily hours of work for young persons.

25. A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, no young person shall be required or allowed to work whether as an employee or otherwise, in any establishment for more than five hours in any day.

(2) No young person shall be required or allowed to work whether as an employee or otherwise in any establishment for more than three hours in any day unless he has had an interval for rest of at least half an hour.

25-B. No young person or woman working in any establishment, whether as an employee or otherwise, shall be required or allowed to perform such work as may be declared by the State Government, by notification, to be work involving danger to life, health or morals." *Prohibition of employment of young persons and women in dangerous work.*

12. In section 30 of the principal Act, for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:— *Amendment of section 30.*

"(1) Notwithstanding anything contained in the Payment of Wages Act, 1936 (No. IV of 1936), hereinafter referred to in this section as "the said Act", the State Government may, by notification, direct that subject to the provisions of sub-section (2), all or any of the provisions of the said Act shall apply to all or any establishment or to all or any class of employees to which or whom this Act for the time being applies."

13. In section 44 of the principal Act,— *Amendment of section 44.*

(i) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

"(d) if in any establishment a child, young person or woman is required or allowed to work in contravention of section 24, 25, 25A, or 25B; or;" and

(ii) the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that if the contravention of provisions of sub-section (2) of section 6 is continued after the expiry of the tenth day after conviction, the employer shall on conviction be punished with a further fine which may extend to ten rupees for each day on which the contravention is so continued.".

14. In section 45 of the principal Act, for the word and figures "section 11", the word and figures "section 10" shall be substituted. *Amendment of section 45.*

15. In section 46 of the principal Act, for the words and figures "or section 18, 23 or 57", the words, brackets and figures "or sub-section (2) of section 18 or sub-section (2) of section 23 or section 57" shall be substituted. *Amendment of section 46.*

16. In section 46 of the principal Act, for the words and section shall be substituted, namely:— *Substitution of section 48.*

"48. If any employer who has been convicted of any offence under sub-section (1) of section 9 or sections 11, 12, or 13 or sub-section (1) of section 14 or sections 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25-A, 25-B, 43, 49, or 58 is again guilty of an offence involving contravention of the same provision, he shall be punished on a subsequent conviction with fine which shall not *Enhanced penalty in certain cases after previous conviction.*

be less than fifteen rupees and which may extend to five hundred rupees"

Amendment of section 52.

17. In section 52 of the principal Act for the words "on which the offence is alleged to have been committed", the words "on which the alleged commission of the offence came to the knowledge of an Inspector" shall be substituted.

Amendment of section 55.

18. For the Explanation to section 55 of the principal Act, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"*Explanation.*—For the purposes of this section "limit of hours of work" shall mean—

(a) in respect of establishment to which section 11, 16 or 21 apply, the limits prescribed in the respective sections; and

(b) in respect of other establishments, such number of hours of work as may be prescribed.

Amendment of section 62.

19. In section 62 of the principal Act; for the words "any person employed in or within", the words "any person employed in an establishment situated in or within" shall be substituted.

Amendment of section 63.

20. In section 63 of the principal Act, for the words "apply to every employee of a shop or commercial establishment", the words "apply to every employee of any establishment" shall be substituted.

(प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित)

मध्यप्रदेश विधेयक

(१९६३ का क्रमांक ४)

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, १९६३

विषय सूची

खण्ड

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ३ का संशोधन.

४. धारा ४ का संशोधन.

५. धारा ६ का संशोधन.

६. धारा १० का संशोधन.

७. धारा ११ का संशोधन.

८. धारा १३ का संशोधन.

९. नई धारा १८-क का जोड़ा जाना.

१०. नई धारा २३-क का जोड़ा जाना.

११. अध्याय छः का प्रतिस्थापन.

१२. धारा ३० का संशोधन.

१३. धारा ४४ का संशोधन.

१४. धारा ४५ का संशोधन.

१५. धारा ४६ का संशोधन.

१६. धारा ४८ का प्रतिस्थापन.

१७. धारा ५२ का संशोधन.

१८. धारा ५५ का संशोधन.

१९. धारा ६२ का संशोधन.

२०. धारा ६३ का संशोधन.

(प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित)

मध्यप्रदेश विधेयक

१९६३ का क्रमांक ४

[प्रवर समिति द्वारा निकाले गये अंश चौकोन कोष्ठक में दिये गये हैं और उसके द्वारा जोड़े गये या परिवर्तित अंश के नीचे लकीर खींची गई हैं].

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, १९६३

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ में संशोधन करने के हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के [चौदहवें] पन्द्रहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :—

संक्षिप्त नाम. १. यह अधिनियम, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, [१९६३] १९६४ कहलायेगा.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५, सन् १९५८) (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (३) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाये, अर्थात्:—

"(३) "बंद" से तात्पर्य किसी भी ग्राहक के सेवा-कार्य के लिये या स्थापना के किसी कारोबार के लिये या स्थापना के या उससे संबंधित किसी नौकर द्वारा या उसकी सहायता से, किसी कार्य के लिये खुला न होने से है ;"

(दो) खण्ड (४) की मद (क) में शब्द "जो कोई भी कारोबार, व्यापार या व्यवसाय करती हो" के स्थान पर शब्द "जो कोई भी कारोबार, व्यापार या व्यवसाय करती हो, चाहे वह लाभ के लिये हो अथवा नहीं" रखे जायें ;

(तीन) खण्ड ६ के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाए, अर्थात् :—

"(६) "नौकर" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी स्थापना में या उसके संबंध में, सीधे अथवा किसी एजेन्सी द्वारा और मजदूरी पर या किसी अन्य प्रतिफल पर, पूर्णतः या मुख्यतः काम पर लगाया गया हो और उसमें शिशिक्षु सम्मिलित है किन्तु नियोजक के परिवार का सदस्य सम्मिलित नहीं है ;" और

(चार) खण्ड (१८) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाये, अर्थात् :—

"(१८) "खुली" से तात्पर्य किसी ग्राहक की सेवा के लिये या स्थापना के किसी कारोबार के लिये या स्थापना के या उससे संबंधित, किसी नौकर द्वारा या उसकी सहायता से किसी कार्य के लिये खुली होने से है."

३. मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में :— धारा ३ का संशोधन.

(एक) खण्ड (क) में शब्द "प्रबन्ध संबंधी या गोपनीय प्रकार के पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों से" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "ऐसे व्यक्तियों से जो प्रबन्ध संबंधी पदों पर आरूढ़ हों और धारा ६ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन उस रूप में घोषित किये गये हों या गोपनीय पदों पर आरूढ़ हों," रखे जायें, और

(दो) खड (झ) निकाल दिया जाय.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाये, अर्थात् :— धारा ४ का संशोधन.

"४. (१) इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, शासन, अधिसूचना द्वारा, किसी भी स्थापना अथवा स्थापनाओं की किसी भी श्रेणी को अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की किसी श्रेणी को, जिससे यह अधिनियम या उसके कोई भी उपबन्ध उस समय लागू नहीं होते हैं, ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की ऐसी श्रेणी अथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी होना घोषित कर सकेगा जिस पर यह अधिनियम या इसके कोई उपबन्ध ऐसे दिनांक से, जो कि उस अधिसूचना में उल्लिखित किया जावे, लागू होंगे. अन्य स्थापनाओं तथा व्यक्तियों पर इस अधिनियम का लागू होना.

(२) उपधारा (१) के अधीन ऐसी घोषणा होने पर किसी भी ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की किसी ऐसी श्रेणी या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी को ऐसी स्थापना या स्थापना की ऐसी श्रेणी या ऐसा नौकर या नौकरों की ऐसी श्रेणी समझा जायगा जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो और इस अधिनियम के समस्त या कोई भी उपबन्ध, ऐसी स्थापना या स्थापनाओं की ऐसी श्रेणी या ऐसे नौकर या नौकरों की ऐसी श्रेणी पर लागू होंगे."

५. मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (२) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाये, अर्थात् :— धारा ६ का संशोधन.

"(क) नियोजक प्रबन्धक और प्रबन्ध संबंधी पद पर आरूढ़ व्यक्ति का नाम. यदि कोई हो,"

६. मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जायें, अर्थात् :— धारा १० का संशोधन.

"(२) उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई भी, व्यक्ति इस बात का भागी होगा कि निरीक्षक द्वारा उसके माल का अभिग्रहण कर लिया जाय.

(३) उपधारा (२) के अधीन अभिग्रहीत माल उस व्यक्ति को, जिससे वह अभिग्रहीत किया गया था, उसके द्वारा अपनी न्यायालय में उपस्थिति के लिये प्रतिभूति के रूप में [पच्चीस] पन्द्रह रुपये जमा किये जाने पर वापस कर दिया जायगा.

(४) यदि वह व्यक्ति रकम जमा न करे तो अभिगृहीत माल अविलम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा, जो उसकी अस्थायी अभिरक्षा के सम्बन्ध में ऐसे निदेश देगा, जिन्हें वह उचित समझे.

(५) जब उपधारा (१) के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये ऐसी अवधि के भीतर जो इस संबंध में न्यायालय निश्चित करे, कोई अभियोजन नहीं चलाया जावे, तो न्यायालय यह निर्देश देगा कि माल उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाय, जिससे कि वह अभिग्रहीत किया गया था,

(६) पूर्ववर्ती उपधारा के उपबन्धों के अधीन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ (क्रमांक पांच, सन् १८९८) के उपबन्ध, जहां तक वे लागू हो सकते हों, इस धारा के अधीन अभिग्रहीत माल के निपटारे के संबंध में लागू होंगे."

धारा ११ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाये, अर्थात् :—

"(१) (क) किसी भी दुकान या वाणिज्यिक स्थापना के किसी भी नौकर से सप्ताह में ४८ घंटे से अधिक कार्य करने के लिये न तो अपेक्षा की जायेगी और न उसे अनज्ञा दी जायेगी.

(ख) खंड (क) के अधीन रहते हुए किसी भी नौकर से—

(एक) किसी भी दुकान में किसी भी दिन नौ घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जायगी ;

(दो) किसी भी वाणिज्यिक स्थापना में किसी भी दिन दस घंटे से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी."

धारा १३ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा १३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि जब कोई दुकान या वाणिज्यिक-स्थापना किसी भी वर्ष के प्रारम्भ होने के पश्चात् इस अधिनियम के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम बार आये तो नियोजक सप्ताह का एक ऐसा दिन नियत करेगा, जिस दिन दुकान या वाणिज्यिक स्थापना वर्ष के शेष भाग के लिये बन्द रहेगी, और उस दिनांक से, जिसको दुकान या स्थापना इस अधिनियम के विस्तार-क्षेत्र के अन्तर्गत इस प्रकार आये एक मास के भीतर उसकी सूचना निरीक्षक को देगा."

(दो) उपधारा (४) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"यदि कोई नौकर दैनिक मजदूरी पर लगाया जाय तो उसे साप्ताहिक छुट्टी के लिये पिछले छः कार्य दिवसों में उसके द्वारा उपार्जित दैनिक मजदूरी के औसत के बराबर मजदूरी दी जायेगी."

नई धारा १८-क का जोड़ा जाना.

९. मूल अधिनियम की धारा १८ क पश्चात् निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाये, अर्थात् :—

नियोजक निवास युक्त होटल आदि में नौकर को पहिचान पत्र देगा.

"१८-क. नियोजक किसी निवास युक्त होटल, उपाहार गृह या भोजनालय में प्रत्येक नौकर को एक पहिचान-पत्र देगा जिसे नौकर काम पर रहते समय अपने पास रखेगा और निरीक्षक द्वारा मांग किये जाने पर नौकर द्वारा उसे प्रस्तुत किया जायगा. ऐसे पत्र

में निम्नलिखित तथा ऐसे अन्य ब्यौरे रहेंगे, जो विहित किये जायें, अर्थात् :—

(क) नियोजक का नाम ;

(ख) स्थापना का नाम, यदि कोई हो, और उसका डाक का पता ;

(ग) नौकर का नाम तथा आयु ;

(घ) नौकर के कार्य के घंटे, विश्राम की अन्तरावधि, यदि कोई हो, तथा छुट्टी का दिन ;

(ङ) नियोजक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

(च) नौकर का पहिचान-चिह्न ; और

(छ) नौकर के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान."

१०. मूल अधिनियम की धारा २३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाये, अर्थात् :— नई धारा २३-क का जोड़ा जाना.

"२३-क. नियोजक, थियेटर या सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद प्रमोद के अन्य स्थानों के प्रत्येक नौकर को एक पहिचान-पत्र देगा जिसे नौकर काम पर रहते समय अपने पास रखेगा और निरीक्षक द्वारा मांग किये जाने पर नौकर द्वारा उसे प्रस्तुत किया जायेगा. ऐसे पत्र में निम्नलिखित तथा ऐसे अन्य ब्यौरे रहेंगे, जो विहित किये जायें, अर्थात् :— थियेटर आदि का नियोजक नौकर को पहिचान-पत्र देगा.

(क) नियोजक का नाम ;

(ख) स्थापना का नाम, यदि कोई हो, और उसका डाक का पता ;

(ग) नौकर का नाम तथा आयु ;

(घ) नौकर के कार्य के घंटे, विश्राम की अंतरावधि, यदि कोई हो, तथा छुट्टी का दिन ;

(ङ) नियोजक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित

(च) नौकर का पहिचान-चिह्न ; और

(छ) नौकर के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान."

११. मूल अधिनियम के छठवें अध्याय के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाये, अर्थात् :— अध्याय छः का प्रतिस्थापन.

छठा अध्याय—बालकों, तथा व्यक्तियों तथा महिलाओं का सेवा नियोजन

२४. किसी भी स्थापना में किसी भी बालक से नौकर के रूप में या अन्यथा कार्य करने की न तो अपेक्षा की जायेगी और न उसे कार्य करने की अनुज्ञा दी जायेगी, भले ही ऐसा बालक नियोजक के परिवार का कोई सदस्य ही क्यों न हो. किसी भी स्थापना में कोई भी बालक कार्य नहीं करेगा.

२५. किसी भी युवा व्यक्ति या महिला से किसी भी स्थापना में नौकर के रूप में या अन्यथा प्रातः ७ बजे के पूर्व और रात्रि ९ बजे के पश्चात् कार्य करने की न तो अपेक्षा की जायेगी और न उसे कार्य करने की अनुज्ञा दी जायेगी, भले ही ऐसा युवा व्यक्ति या महिला नियोजक के परिवार का कोई सदस्य ही क्यों न हो. युवा व्यक्ति तथा महिलाएं प्रातः ७ बजे से रात्रि ९ बजे के बीच कार्य करेंगी.

युवकों के कार्य के दैनिक घंटे.

"२५-क. (१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी स्थापना में किसी भी युवा व्यक्ति से नौकर के रूप में या अन्यथा किसी भी दिन पांच घंटे से अधिक कार्य करने की न तो अपेक्षा की जायेगी और न उसे कार्य करने की अनुज्ञा दी जायेगी.

(२) किसी भी युवा व्यक्ति से, जब तक कि उसे विश्राम के लिये कम से कम आधे घंटे की अंतरावधि न दी जाये, किसी भी स्थापना में नौकर के रूप में या अन्यथा किसी भी दिन तीन घंटे से अधिक कार्य करने की न तो अपेक्षा की जायेगी और न उसे कार्य करने की अनुज्ञा दी जायेगी.

खतरनाक कार्य में युवा व्यक्तियों तथा महिलाओं के सेवा नियोजन का निषेध.

२५-ख. किसी भी स्थापना में नौकर के रूप में या अन्यथा कार्य करने वाले किसी भी युवा व्यक्ति या महिला से कोई भी ऐसा कार्य करने की न तो अपेक्षा की जायेगी और न उसे ऐसा कार्य करने की अनुज्ञा दी जायेगी, जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, जीवन, स्वास्थ्य और नैतिकता के लिये खतरनाक घोषित करे."

धारा ३० का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाये, अर्थात् :—

"(१) पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट, १९३६ (मजदूरी भुगतान अधिनियम, १९३६) (क्रमांक ४, सन्, १९३६) में, जो इस धारा में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है, किसी बात के होते हुए भी राज्य शासन अधिसूचना द्वारा यह निदेशित कर सकेगा कि उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के समस्त या कोई भी उपबन्ध ऐसी समस्त स्थापनाओं या किसी स्थापना को या ऐसे समस्त नौकरों को या नौकरों की किसी श्रेणी को लागू होंगे जिसने या जिनको यह अधिनियम उस समय लागू होता हो."

धारा ४४ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ४४ में,—

(एक) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाये, अर्थात् :—

"(घ) यदि किसी स्थापना में किसी बालक या युवा व्यक्ति या महिला से धारा २४, २५, २५-क या २५-ख के उल्लंघन में कार्य करने की अपेक्षा की जाये या उसे कार्य करने दिया जाये ; या" ; और

(दो) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि यदि धारा ६ की उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन दोष-सिद्धि के दसवें दिन की समाप्ति के पश्चात् भी जारी रहे तो नियोजक को दोष-सिद्धि पर ऐसे और अर्थदण्ड से दंडित किया जायगा, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसका उल्लंघन इस प्रकार चालू रहे, १० रुपये तक हो सकेगा."

धारा ४५ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ४५ में शब्द और अंक "धारा ११" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा १०" रखे जायें.

धारा ४६ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ४६ में शब्द और अंक "या धारा १८, २३ या ५७" के स्थान पर शब्द, कोष्टक और अंक "या धारा १८ की उपधारा (२) या धारा २३ की उपधारा (२) या धारा ५७" रखे जायें.

१६. मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाये, अर्थात् :— धारा ४८ का प्रतिस्थापन.

"४८. यदि कोई नियोजक, जो धारा ६ की उपधारा (१) या धारा ११, १२ या १३ या धारा १४ की उपधारा (१) या धारा १६, १७, १८, १६, २१, २२, २३, २४, २५, २५-क, २५-ख, ४३, ४६ या ५८ के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया जा चुका हो, किसी ऐसे अपराध का पुनः दोषी हो, जिसमें उसी उपबन्ध का उल्लंघन अंतर्ग्रस्त हो तो पश्चात्‌वर्ती दोष-सिद्धि पर ऐसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जायगा, जो पन्द्रह रुपये से कम नहीं होगा और जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा." पूर्वदोष-सिद्धि के पश्चात् कतिपय प्रकरणों में वर्धित शास्ति.

१७. मूल अधिनियम की धारा ५२ में शब्द "जिसको उस अपराध का किया जाना अभिकथित हो" के स्थान पर शब्द "जिसको अभिकथित अपराध का किया जाना निरीक्षक की जानकारी में आया हो" रखे जायें. धारा ५२ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ५५ की व्याख्या के स्थान पर निम्न व्याख्या रखी जाये, अर्थात् :— धारा ५५ का संशोधन.

व्याख्या.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "कार्य के घंटों की सीमा" से तात्पर्य—

(क) ऐसी स्थापना के सम्बन्ध में जिस पर धारा ११, १६ या २१ लागू होती हो, संबंधित धाराओं में विहित सीमाओं से है; तथा

(ख) अन्य स्थापनाओं के सम्बन्ध में, उतने कार्य के घंटों से हैं, जितने कि विहित किये जायें.

१६. मूल अधिनियम की धारा ६२ में शब्द "किसी कारखाने में या उसकी सीमाओं के भीतर काम पर लगाये गये किसी भी व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "किसी कारखाने में या उसकी सीमाओं के भीतर स्थापना में काम पर लगाये गये किसी भी व्यक्ति" रखे जायें. धारा ६२ का संशोधन.

२०. मूल अधिनियम की धारा ६३ में शब्द "किसी दूकान या वाणिज्यक स्थापना के प्रत्येक नौकर को लागू होंगे" के स्थान पर शब्द "किसी भी स्थापना के प्रत्येक नौकर पर लागू होंगे" रखे जायें. धारा ६३ का संशोधन.

शाकेमुभो—१०२३—सविस—२२-८-६४—५००.